

## खण्ड छः

### छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

#### 1. प्रस्तावना :-

छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर तथा अन्य अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में इस्पात, सीमेंट, विद्युत परियोजनायें तथा अन्य उद्योग आदि काफी संख्या में स्थापित हुए हैं। साथ ही वन तथा कृषि पर आधारित उद्योग जैसे राईस मिल, पोहा मिल, प्लाईवुड, फर्नीचर आदि उद्योग भी स्थापित हुए हैं। राज्य में औद्योगिक गतिविधियां प्रमुख रूप से रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ एवं दंतेवाड़ा में संचालित है तथा इन क्षेत्रों में स्पंज आयरन, पेपर, सीमेन्ट, फर्टीलाईजर तथा कुछ अन्य उद्योगों के साथ लघु/कुटीर उद्योग जैसे राईस एवं पोहा मिलें बहुतायत में स्थापित हैं।

#### 2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन :-

राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 25 जुलाई 2001 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 4 के तहत किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों में प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है:-

1. जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
5. खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचालन) नियम, 2008
6. खतरनाक रसायन विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989
7. नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2000
8. जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998
9. प्लास्टिक विनिर्माण, विक्रय व उपयोग नियम, 1999
10. फ्लोरो ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999

11. बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001

12. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006

3. संगठनात्मक संरचना :-

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय रायपुर में स्थित है, तथा इसके अधीनस्थ सात क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः रायपुर, भिलाई-दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है :-

तालिका

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिले का नाम
1	रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदा बाजार, गरियाबंद
2	भिलाई-दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा
3	बिलासपुर	बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, मुंगेली
4	कोरबा	कोरबा,
5	रायगढ़	रायगढ़, जशपुर
6	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर
7	जगदलपुर	जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर बीजापुर, कोण्डागांव, सुकमा

4. मंडल के मुख्य कार्यकलाप

- (1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को क्रमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान करना।
- (2) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।
- (3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाये गए विभिन्न नियमों यथा खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचालन) नियम, 2008, नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2000, जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998, अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 2011, फ्लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999, बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001 एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 आदि के प्रावधानों का पालन कराना।

### 5.1 जल एवं वायु सम्मति

- (अ) मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को क्रमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान की जाती है। 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक मंडल को सम्मति शुल्क के रूप में ₹0 1,52,38,000/- तथा नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹0 1,74,76,200/- प्राप्त हुए।
- (ब) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।

#### तालिका-2

दिनांक 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक उद्योगों को जारी की गई,  
सम्मति/सम्मति नवीनीकरण की संख्या

क.	कार्यालय का नाम	स्थापना/संचालन सम्मति	नवीनीकरण
1	मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर	103	316
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	232	302
3	क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई-दुर्ग	237	362
4	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	103	154
5	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	24	48
6	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	57	115
7	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	99	82
8	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	24	60
	<b>कुल</b>	<b>879</b>	<b>1439</b>

### 5.2 जल उपकर

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अंतर्गत उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा उपयोग किये गए जल के प्रयोजन एवं मात्रा के आधार पर उपकर निर्धारित किया जाता है। प्राप्त राशि को मूलतः भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा जाता है। इसमें से 80 प्रतिशत राशि बोर्ड को वापस प्राप्त होती है। बोर्ड के राजस्व का यह प्रमुख स्रोत है।

### 5.3 जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

#### (अ) भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन कार्यक्रम (मीनार्स)

इसके अंतर्गत प्रमुख प्राकृतिक जल स्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाती है। इस कार्यक्रम में प्रदेश की मुख्य नदियाँ— महानदी, शिवनाथ, खारून, अरपा, हसदेव, केलो, शंखनी—डंकनी, मांड एवं इंद्रावती नदियाँ शामिल हैं। यह योजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आर्थिक सहयोग से

संचालित है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :-

तालिका -3

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई -दुर्ग	98
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	48
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	08
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	66
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	44
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	36
	<b>कुल</b>	<b>300</b>

(ब) अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों की मॉनिटरिंग

मीनार्स कार्यक्रम के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा स्वयं के वित्तीय व्यय से सभी प्रमुख नदियों तथा उनकी सहायक नदियों एवं मुख्य झीलों, बांधों तथा तालाबों के जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :-

तालिका -4

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई -दुर्ग	124
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	114
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	126
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	234
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	116
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	66
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	43
	<b>कुल</b>	<b>823</b>

(स) **औद्योगिक दूषित जल स्रोतों की मॉनिटरिंग**

उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल की गुणवत्ता मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। मॉनिटरिंग परिणामों के आधार पर उद्योगों पर कार्यवाही की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :-

तालिका-5

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई -दुर्ग	172
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	65
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	38
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	123
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	26
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	14
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	85
	<b>कुल</b>	<b>523</b>

5.4 **वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम**

(अ) **राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (NAQM)**

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के चार प्रमुख शहरों रायपुर, कोरबा, बिलासपुर एवं दुर्ग-भिलाई में परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग में आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित हैं। मॉनिटरिंग में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (एस.पी.एम.), रेस्परेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (आर.एस.पी.एम.), सल्फर डाई-आक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विश्लेषित नमूनों की संख्या निम्नानुसार है :-

तालिका - 6

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	एस.पी.एम.	आर.एस.पी.एम.	सल्फर डाई ऑक्साइड	नाइट्रोजन ऑक्साइड
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई -दुर्ग	702	702	1404	1404
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	241	—	482	482
3.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	470	291	940	940
4.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	210	210	414	414
	<b>कुल</b>	<b>1623</b>	<b>1203</b>	<b>3240</b>	<b>3240</b>

**(ब) उद्योगों की चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग**

औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप वायु प्रदूषण की स्थिति पर सतत निगरानी रखने हेतु उद्योगों की चिमनियों से होने वाले उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार उद्योगों की चिमनियों एवं परिवेशीय वायु के निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये:-

तालिका -7

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्टेक मॉनिटरिंग की संख्या	एंबीएन्ट एयर मॉनीटरिंग की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई -दुर्ग	226	196
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	107	174
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	06	27
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	02	63
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	245	160
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	174	33
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	157	51
	कुल	917	704

**5.5 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए.नोटिफिकेशन 2006 के अंतर्गत की गई लोक सुनवाई :-**

(अ) दिनांक 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक की अवधि में सम्पन्न लोक सुनवाई :-

तालिका -8

क्र.	कार्यालय का नाम	भारत शासन को भेजे गये प्रकरणों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	11

**5.6 उल्लंघनकारी उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही**

दिनांक 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक की अवधि में जारी नोटिस एवं निर्देशों का विवरण निम्नानुसार है :-

**तालिका -9**

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नोटिसों की संख्या	निर्देशों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	48	06
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	50	05
3.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	05	04
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	08	—
5.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई—दुर्ग	03	01
6.	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	19	—
7.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	03	--
कुल		136	16

**6. न्यायालयीन कार्यवाही :-**

दिनांक 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक की अवधि में क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार न्यायालयीन कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है -

**तालिका 10**

क.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	उपरोक्त अवधि में दायर प्रकरणों की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	—
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	09
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	02
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	04
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई—दुर्ग	—
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	—
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	—
कुल		15

7. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचालन) नियम 2009,  
इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक की अवधि में जारी प्राधिकार एवं नवीनीकरण :-

1. प्राधिकार - 79
2. नवीनीकरण - 12

8. जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1998

इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक की अवधि में जारी प्राधिकार एवं नवीनीकरण :-

1. प्राधिकार - 241
2. नवीनीकरण - 65
3. एन.ओ.सी. - 37

9. ध्वनि स्तर मापन :-

मंडल द्वारा दीपावली के पूर्व एवं दीपावली के दिन ध्वनि स्तर मापन का कार्य किया जाता है जिससे कि दीपावली पर्व के दौरान शहरों में ध्वनि का स्तर कितना है यह ज्ञात हो सके। इस वर्ष मंडल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ध्वनि स्तर मापन की संख्या कुल 376 है।

10. खतरनाक ठोस अपशिष्टों का सीमेंट क्लिन में को-प्रोसेसिंग किया जाना :-

खतरनाक ठोस अपशिष्टों का सीमेंट प्लांट की क्लिन में को-प्रोसेसिंग एक अच्छा व फायदेमंद विकल्प है। मंडल के इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य के 03 प्रमुख सीमेंट उद्योगों द्वारा इस कार्य हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

11. कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन :-

मंडल के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के विभिन्न प्रमुख उद्योगों द्वारा रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर जगदलपुर, एवं भिलाई में कुल 34 कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किये गये हैं। इन उपकरणों द्वारा सतत रूप में एस.पी.एम., आर.एस.पी.एम., एस.ओ.एक्स एवं एन.ओ.एक्स. की स्थिति लगातार ज्ञात होकर दर्शित होती है।

**2. फलाईएश का उपयोग**

मंडल द्वारा राज्य में फलाईएश का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में इस दिशा में फलाईएश का उपयोग सीमेंट उत्पादन, ईंट उत्पादन, भू भराव, सड़क निर्माण एवं कृषि कार्यों में किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में लगभग 55 प्रतिशत फलाईएश का उपयोग विभिन्न निर्माणकारी कार्यों में किया गया।

13. वृक्षारोपण बाबत जानकारी (वर्ष 2013-14 में किये गये वृक्षारोपण)

तालिका -11

क्रं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वृक्षारोपण की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	2,37,120
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	4,20,395
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	1,42,796
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	8,31,455
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई-दुर्ग	95,692
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	2,05,530
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	28,235
	कुल	19,61,223

14. नेशनल ग्रीन कोर कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता अभियान :  
स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता हेतु राज्य के लगभग 6750 स्कूलों में इको क्लब गठित किया गया है। प्रत्येक इको क्लब को रूपये 2500 प्रतिवर्ष के मान से अनुदान राशि प्रदान की जाती है। राज्य में 6 लाख स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष अनुदान के रूप में रू. 1,68,75,000/- इन इको क्लब स्कूलों में वितरित किये गये हैं।

15. जन जागरूकता अभियान :-

1. **05 जून 2014 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंडल द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन** 05 जून 2014 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंडल मुख्यालय द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये। दिनांक 01 जून 2014 को स्कूली व महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं की निबंध, पोस्टर एवं बेस्ट फ्रॉम वेस्ट प्रतियोगिता, 02 जून 2014 को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, 04 जून 2014 से महाकौशल कला वीथिका में 02 दिवसीय पर्यावरणीय प्रदर्शनी, 05 जून 2014 को दोपहर 02 बजे से खुलामंच कार्यक्रम एवं संध्या 04:30 बजे से परिसंवाद एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसके पूर्व मंडल द्वारा राज्य स्तरीय पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता हेतु प्रवृष्टियां आमंत्रित की गई थी, जिसके विजेताओं को आकर्षक नगद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र इत्यादि दिये गये।



**1. दिनांक 27, 28 एवं 29 अगस्त 2014 को राज्य स्तरीय ईको बाल मेले एवं सर्वश्रेष्ठ ईको क्लब के चयन की प्रतियोगिता ।**

दिनांक 27, 28 एवं 29 अगस्त, 2014 को राज्य स्तरीय ईको बाल मेले एवं सर्वश्रेष्ठ ईको क्लब चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से चयनित लगभग 350 स्कूली बच्चों व शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में तीनों ही दिन विशेषज्ञ वक्ताओं ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पर्यावरण के विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। दिनांक 28 अगस्त को प्रतिभागियों को छत्तीसगढ़ साईंस सेंटर का भ्रमण कराया गया। जहां उन्हें विज्ञान के विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त हुई। कार्यक्रम में बच्चों के मध्य जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषयों पर अनेक प्रतियोगितायें आयोजित की गईं। सर्वश्रेष्ठ ईको क्लब का भी चयन किया गया।

1. 16 सितम्बर, 2014 अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर अंतर महाविद्यालयीन भाषण, पोस्टर एवं पर्यावरणीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन।

मंडल द्वारा विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर के सहयोग से 16 सितम्बर, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर भाषण, पोस्टर एवं पर्यावरणीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में लगभग 200 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिताओं का विषय ओजोन परत की सुरक्षा का अभियान जारी रखें, रखा गया था। पर्यावरणीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में पर्यावरण से संबंधित सभी विषय शामिल थे।

16. बोर्ड की वित्तीय स्थिति :-

वर्तमान में बोर्ड की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:-

तालिका-12

अवधि	सम्मति शुल्क रु.	नवीनीकरण शुल्क रु.	जल उपकर शुल्क रु.	राज्य शासन से प्राप्त राशि रु.
दिनांक 01 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014	1,52,38,000 / -	1,74,76,200 / -	निरंक	निरंक

